रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-10052024-254151 CG-MH-E-10052024-254151

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] No. 330] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 10 मई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के तहत अधिसुचना

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/176.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 4 के खंड (छ) के उप-खंड (i) के साथ पिठत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:
- 1. आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) के प्रबंधक के मुख्य निवेश दल में कार्य करने वाले सहयोगी (सहयुक्त) व्यक्तियों में से कम से कम एक मुख्य व्यक्ति, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से एक प्रमाणपत्र ("रा.प्र.बा.सं. श्रृंखला-XIX-C: आनुकल्पिक निवेश निधि प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा" उत्तीर्ण करके, जिसका जिक्र राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा जारी की गई तारीख 10 जनवरी, 2024 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XIX-C:आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स/2024/01 में किया गया है) प्राप्त करेगा।

2989 GI/2024 (1)

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./099/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 10th May, 2024

Notification under Securities and Exchange Board of India

(Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/176.—In terms of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 read with sub-clause (i) of clause (g) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, the Board hereby issues the following notification:

 At least one key personnel, amongst the associated persons functioning in the key investment team of the Manager of an Alternative Investment Fund, shall obtain certification from the National Institute of Securities Market by passing the NISM Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/ Certification/ Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers/2024/01 dated January 10, 2024 issued by the National Institute of Securities Market.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

BABITHA RAYUDU, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./099/2024-25]